(21)

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार।
पत्रांकः न–10(2)/सीएफओ–आर/19 दिनांकः मई 11. 2019।

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
मैसर्स भारतीय एकेडमी स्कूल,
C/O सोनी फाउण्डेशन, ग्राम तांशीपुर,
रूड़की, जनपद हरिद्वार।

विषयः <u>अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।</u>

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर–81651808, दिनांकः 04.05.2019 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार मैसर्स भारतीय एकेडमी स्कूल, C/O सोनी फाउण्डेशन, ग्राम तांशीपुर, रूड़की, जनपद हरिद्वार की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की अग्निशमन द्वितीय अधिकारी से निरीक्षण कराया गया, प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की की निरीक्षण आख्या दिनांकः 09.05.2019 के अनुसार निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था–ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा0 क्षमता–12 अदद, सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा0 क्षमता–08 अदद, होजरील–04 अदद, ओवर हैड टैंक क्षमता 50,0000 ली0–01 अदद, सबमरसिबल पम्प 05 एचपी क्षमता–01 अदद का कार्यशील दशा में होना अंकित किया है।

निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय भवन का विस्तार/अन्य तलों का निर्माण करने पर तदनुसार अलग से अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अग्निशमन व्यवस्था समय–2 पर चैक कर सदैव कार्यशील दशा में रखी जाये, अकार्यशील पाये जाने पर तत्काल कार्यशील करा ली जाये, स्थानीय थाना/अस्पताल/फायर स्टेशन रूड़की के टेलीफोन नं0 01332–273098/101 को भवन के मुख्य स्थान पर अंकित किया जाये तथा अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी Lay out plan भी प्रवेश द्वार पर उपलब्ध रखा जाये, एन.बी.सी के भाग–4 में उल्लिखित मानकों के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखा जाये तथा उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने से पूर्व रिफिल करवाये जाना अनिवार्य है यदि कतिपय कारणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण होने के उपरान्त रिफिलिंग तिथि पर फायर एक्सटिंग्यूशर रिफिल नही किये जाते तो प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।

अतः प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की संस्तुति आख्या तथा उपरोक्त अनुबन्ध के साथ मैसर्स भारतीय एकेडमी स्कूल, C/O सोनी फाउण्डेशन, ग्राम तांशीपुर, रूड़की, जनपद हरिद्वार को उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से एक वर्ष हेतु इस उपबन्ध के साथ जारी किया जाता है कि यदि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान दिये सुझाव के अनुरूप व्यवस्था का होना नहीं पाया जाता है एवं किसी प्रकार की लापरवाही/तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुर्घटना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन का होगा, तथा प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(राजेन्द्र सिंह खाती)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।